## कृषि मंत्रालय

**( कृषि और सहकारिता विभाग )**

नई दिल्ली, 1 जनवरी, 2015

**सा.का.नि. 5.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, अखिल भारतीय मृदा और भूमि-उपयोग सर्वेक्षण (जीप ड्राईवर विभिन्न श्रेणी) भर्ती नियम, 2004, जो जीप ड्राईवर (साधारण श्रेणी)जीप ड्राईवर (श्रेणी-1) और जीप ड्राईवर (श्रेणी-2) के पदों से संबंधित हैं को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग के अधीन अखिल भारतीय मृदा और भूमि-उपयोग सर्वेक्षण में जीप ड्राईवर (साधारण श्रेणी, श्रेणी-1 और श्रेणी-2) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, अखिल भारतीय मृदा और भूमि-उपयोग सर्वेक्षण (जीप ड्राईवर विभिन्न श्रेणी) भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

**2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं, आदि.**—पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

**4. निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

**5. शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को, किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

**6. व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

### अनुसूची

| पद का नाम | पदों की संख्या | वर्गीकरण | वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान | चयन या अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. जीप ड्राईवर (साधारण श्रेणी) | 9* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. | अचयन | 18 से 25 वर्ष के बीच। (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवक के मामले में 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के मामले में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। |

| | | (6) |
|---|---|---|
| | | **टिप्पण 1**:–आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी ( न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप–खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)<br>**टिप्पण 2**:–रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती किए जाने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं | क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो |
|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) |
| **आवश्यक अर्हता**–<br>मोटर चलाने में दक्षता हल्के और भारी मोटर यान चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति ।<br>किसी मान्यता प्राप्त स्कूल या बोर्ड से दसवीं कक्षा पास और हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान ।<br>**वांछनीय**:–<br>मान्यता प्राप्त ट्रेड सर्टिफिकेट या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मोटर मैकेनिक के रूप में प्रशिक्षण | **शैक्षणिक अर्हता**:–<br>नहीं, परंतु कम से कम हल्के और भारी मोटर वाहन चलाने में दक्षता तथा हल्के और भारी मोटर यान चलाने में विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति । | सीध भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष |

| **भर्ती की पद्धति** : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा |
|---|---|
| (10) | (11) |
| 80 प्रतिशत सीधे भर्ती द्वारा 20 प्रतिशत भारतीय मृदा और भूमि–उपयोग सर्वेक्षण (एसएलयूएसआई) के बहु–कार्य कर्मचारिवृन्द (एमटीएस) से प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर सीधे भर्ती द्वारा। | **प्रोन्नति**:–<br>जिनकी 1800 रु. ग्रेड वेतन में तीन वर्ष की नियमित सेवा है और जो मोटर वाहन चलाने में दक्षता तथा हल्के और भारी मोटर यान चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति रखते हैं। |

| यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना | भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि और प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—**<br>1. भारतीय मृदा और भूमि-उपयोग सर्वेक्षण के मुख्य मृदा सर्वेक्षण अधिकारी —अध्यक्ष<br>2. मुख्यालय के कार्यालय प्रमुख —सदस्य<br>3. भारतीय मृदा और भूमि-उपयोग सर्वेक्षण के किसी केन्द्र के कार्यालय प्रमुख —सदस्य<br>4. अवर सचिव (प्राकृतिक संसाधन प्रबंध), कृषि मंत्रालय —सदस्य | लागू नहीं होता । |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. जीप ड्राईवर (श्रेणी-2) | 22* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2400 रु. | अचयन | 18 से 25 वर्ष के बीच।<br>(भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवक के मामले में 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के मामले में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं)।<br>**टिप्पण 1:**-आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।<br>**टिप्पण 2:**-रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती किए जाने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। |

| (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|
| **आवश्यक अर्हता-**<br>1. मोटर चलाने में दक्षता<br>2. हल्के और भारी मोटर यान चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति । | **शैक्षणिक अर्हता:-**<br>नहीं, परंतु कम से कम हल्के और भारी मोटर यान चलाने में विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति । | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष |

| (7) |
|---|
| 3. मान्यता प्राप्त स्कूल या बोर्ड से मैट्रिक पास (दसवीं कक्षा) और हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान । <br><br> 4. हल्के मोटर वाहन चलाने में किसी संस्थान या संगठन या कंपनी से तीन वर्ष का अनुभव <br><br> **वांछनीयः-** <br><br> किसी विधिमान्य ट्रेड सर्टिफिकेट या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मोटर मैकेनिक का प्रशिक्षण |

| (10) | (11) |
|---|---|
| 60 प्रतिशत सीधे भर्ती द्वारा, <br><br> 40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा | **प्रोन्नतिः-** <br><br> जीप ड्राईवर (साधारण श्रेणी) जिन्होंने आठ वर्ष नियमित सेवा की हो और निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करते हों: <br><br> 1. अंगेजी शब्द और अंक पढ़ने की योग्यता <br><br> 2. यातायात विनियमों की जानकारी <br><br> 3. त्रुटियों का पता लगाने और छोटी त्रुटियों की मरम्मत करने की योग्यता <br><br> 4. पहियों को बदलने और सही ढंग से टायर में हवा भरने की क्षमता; और <br><br> 5. उपरोक्त पर आधारित प्रैक्टिकल टैस्ट |

| (12) | (13) |
|---|---|
| **समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि और प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—** <br> 1. भारतीय मृदा और भूमि-उपयोग सर्वेक्षण के मुख्य मृदा सर्वेक्षण अधिकारी —अध्यक्ष <br> 2. मुख्यालय कार्यालय के कार्यालय प्रमुख —सदस्य <br> 3. भारतीय मृदा और भूमि-उपयोग सर्वेक्षण के किसी केन्द्र के कार्यालय प्रमुख —सदस्य <br> 4. अवर सचिव (प्राकृतिक संसाधन प्रबंध), कृषि मंत्रालय —सदस्य | लागू नहीं होता। |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. जीप ड्राईवर (श्रेणी-1) | 26* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है) | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय | वेतन बैंड-1, वेतनमान 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु. | अचयन | 18 से 25 वर्ष के बीच। (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में सरकारी सेवक के मामले में 40 वर्ष तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के मामले में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)। |

| (6) |
|---|
| **टिप्पण 1:**-आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)<br>**टिप्पण 2:**-रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती किए जाने की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है। |

| (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|
| **आवश्यक :**<br>1. मोटर चलाने में दक्षता<br>2. हल्के और भारी मोटर यान चलाने के लिए विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति ।<br>3. मान्यता प्राप्त स्कूल या बोर्ड से 10+2(12वीं कक्षा) और हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान ।<br>4. हल्के मोटर वाहन चलाने में किसी संस्थान या संगठन या कंपनी से पांच वर्ष का अनुभव<br>**वांछनीय:**-<br>मान्यता प्राप्त ट्रेड सर्टिफिकेट या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मोटर मैकेनिक का प्रशिक्षण | **शैक्षणिक अर्हता:**-<br>नहीं, परंतु कम से कम हल्के और भारी मोटर वाहन चलाने में विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति । | सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष |

| (10) | (11) |
|---|---|
| 30 प्रतिशत सीधे भर्ती द्वारा,<br>70 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा | **प्रोन्नति:**-<br>ऐसे जीप ड्राईवर (साधारण श्रेणी-2) जिन्होंने श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो और निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करते हों:<br>1. अंगेजी शब्द और अंक पढ़ने की योग्यता<br>2. यातायात विनियमों की जानकारी<br>3. पैट्रोल और डीजल इंजन के कार्य करने का ज्ञान तथा त्रुटियों का पता लगाने और छोटी त्रुटियों की मरम्मत करने की योग्यता<br>4. कार्बोरिटर, प्लग आदि को साफ रखने की योग्यता; और<br>5. उपरोक्त पर आधारित प्रैक्टिकल टैस्ट। |

| (12) | (13) |
|---|---|
| **समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि और प्रोन्नति के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—**<br>1. भारतीय मृदा और भूमि-उपयोग सर्वेक्षण के मुख्य मृदा सर्वेक्षण अधिकारी —अध्यक्ष<br>2. मुख्यालय कार्यालय के कार्यालय प्रमुख —सदस्य<br>3. भारतीय मृदा और भूमि-उपयोग सर्वेक्षण के किसी केन्द्र के कार्यालय प्रमुख —सदस्य<br>4. अवर सचिव (प्राकृतिक संसाधन प्रबंध), कृषि मंत्रालय —सदस्य | लागू नहीं होता। |

[फा. सं. 16-4/2012-एन. आर. एम.-2]

प्रदीप श्रीवास्तव, अवर सचिव

## MINISTRY OF AGRICULTURE

### (Department of Agriculture and Co-operation)

New Delhi, the 1st January, 2015

**G.S.R. 5.—**In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the All India Soil and Land Use Survey (Jeep Driver various grades) Recruitment Rules, 2004, in so far as they relate to the posts of Jeep Driver (Ordinary Grade), Jeep Driver (Grade-I) and Jeep Driver (Grade-II), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Jeep Driver (Ordinary Grade, Grade-I and Grade-II) in the Soil and Land Use Survey of India, Department of Agriculture and Co-operation, Ministry of Agriculture, namely :—

**1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Soil and Land Use Survey of India (Jeep Driver Various Grades) Recruitment Rules 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Number of posts, classification and, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of the said post, its classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

**3. Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

**4. Disqualification.**—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

**5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

**SCHEDULE**

| Name of the post | Number of posts | Classification | Pay Band, and Grade pay or Pay Scale | Whether selection post or non-selection post | Age-limit for direct recruits |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Jeep Driver (Ordinary Grade) | *09 (2014) *(Subject to variation dependent on work load). | General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non-Ministerial | Pay band-1, ₹ 5200-20200 plus Grade pay ₹ 1900 | Non-selection | Between 18 to 25 years. (Relaxable for Government Servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).<br><br>**Note 1:**—The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep.<br>**Note 2:**—The crucial date for determining the age limit in the case of canidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names. |

| Educational and other qualifications required for direct recruits | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees | Period of probation, if any |
|---|---|---|
| (7) | (8) | (9) |
| **Essential Qualification:**<br><br>Proficiency in Motor Driving. Should hold a valid driving licence for light or heavy motor vehicles.<br>10th Class pass from recognised School or Board and working knowledge of Hindi. | **Educational Qualification:**<br><br>No, but must possess at least proficiency in Motor Driving and should hold a valid driving licence for light or heavy motor vehicles. | Two years for direct recruits |

| (7) |
|---|
| **Desirable:**<br>A recognised trade certificate or training as motor mechanic from ITI. |

| **Method of recruitment :** Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods | In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made |
|---|---|
| (10) | (11) |
| 80% by direct recruitment<br>20% by promotion from the Multi Tasking Staff (MTS) of Soil and Land Use Survey of India (SLUSI), failing which by direct recruitment. | **Promotion :**<br>Three years of regular service in the Grade Pay of Rs. 1800/- with proficiency in Motor Driving and having a valid driving licence for light or heavy motor Vehicles |

| If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment. |
|---|---|
| (12) | (13) |
| **Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation and Promotion) consisting of :—**<br>1. The Chief Soil Survey Officer of Soil and Land Use Survey of India —Chairman<br>2. Head of the Office of Headquarters Office. —Member<br>3. Head of the Office of any Centre of Soil and Land Use Survey of India —Member<br>4. Under Secretary (Natural Resource Management), Ministry of Agriculture —Member | Not Applicable. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. Jeep Driver (Grade-II) | 22 * (2014) *(Subject to variation dependent on work load). | General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non-Ministerial | Pay band-1, ₹ 5200-20200 plus Grade pay ₹ 2400 | Non-selection | Between 18 to 25 years.<br>(Relaxable for Government Servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.)<br>**Note 1:—**The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, |

| (6) |
|---|
| Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep.<br>**Note 2:—**The crucial date for determining the age-limit in the case of canidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names. |

| (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|
| **Essential:**<br>1. Proficiency in Motor Driving<br>2. Should hold a valid driving licence for light or heavy motor vehicles.<br>3. 10th Class pass from recognised School or Board and working knowledge of Hindi.<br>4. Experience of three years for driving light motor vehicles in an Institution or Organisation or Company.<br>**Desirable:**<br>A recognised trade certificate or training as motor mechanic from ITI. | **Educational Qualification:**<br>No, but must possess a valid driving licence for light or heavy motor vehicles. | Two years for direct recruits |

| (10) | (11) |
|---|---|
| 60% by direct recruitment<br>40% by promotion | **By Promotion :**<br>From amongst the Jeep Driver (Ordinary Grade) with eight years of regular service and fulfilling the following requirements:<br>a. ability to read English numerals and figures.<br>b. Knowledge of traffic regulations;<br>c. ability to locate faults and carry out minor running repairs; and<br>d. ability to change wheels and correctly inflate tyres; and<br>e. practical test based on the above. |

| (12) | (13) |
|---|---|
| **Group 'C' Departmental Promotion Committee (for Confirmation and Promotion) consisting of :—**<br>1. The Chief Soil Survey Officer of Soil and Land Use Survey of India —Chairman<br>2. Head of the Office of Headquarters Office —Member<br>3. Head of the Office of any Centre of Soil and Land Use Survey of India —Member<br>4. Under Secretary (Natural Resource Management), Ministry of Agriculture —Member | Not Applicable. |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. Jeep Driver (Grade-I) | 26 * (2014) *(Subject to variation dependent on workload). | General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Non-Ministerial | Pay band-1, ₹ 5200-20200 plus Grade pay ₹ 2800 | Non-selection | Between 18 to 25 years. (Relaxable for Government Servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and upto 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time).<br>**Note 1:—**The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti Districts and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep.<br>**Note 2:—**The crucial date for determining the age-limit in the case of canidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names. |

| (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|
| **Essential:**<br>1. Proficiency in Motor Driving;<br>2. Should hold a valid driving licence for light or heavy motor vehicles;<br>3. 10+2 pass (12th Class) from recognised School or Board and working knowledge of Hindi;<br>4. Experience of Five years for driving light motor vehicles in an Institution or Organisation or Company.<br>**Desirable:**<br>A recognised trade certificate or training as motor mechanic from ITI. | **Educational Qualification:**<br>No, but must possess a valid driving licence for light or heavy motor vehicles. | Two years for direct recruits |

| (10) | (11) |
|---|---|
| 30% by direct recruitment<br>70% by promotion | **By Promotion :**<br>From amongst the Jeep Driver (Grade-II) with five years of regular service in the grade and fulfilling the following requirements: |

| (11) |
|---|
| a. ability to read English numerals and figures;<br>b. knowledge of traffice regulations;<br>c. knowledge of petrol and diesel engine working and be able to locate faults and rectify minor running defects;<br>d. ability to clear carburettor, plug etc; and<br>e. practical test based on the above. |

| (12) | (13) |
|---|---|
| **Group 'C' Departmental Promotion Committee (for Confirmation and Promotion) consisting of :—**<br>1. The Chief Soil Survey Officer of Soil and Land Use Survey of India —Chairman<br>2. Head of the Office of Headquarters Office —Member<br>3. Head of the Office of any Centre of Soil and Land Use Survey of India —Member<br>4. Under Secretary (Natural Resource Management), Ministry of Agriculture —Member | Not Applicable. |

[F. No. 16-4/2012-NRM-II]

PRADEEP SRIVASTAVA, Under Secy.

नई दिल्ली, 2 जनवरी, 2015

**सा.का.नि. 6.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विस्तार निदेशालय, मुख्य कलाकार भर्ती नियम, 1962 तथा कलाकार (ज्येष्ठ) भर्ती नियम, 1985 को जहां तक इसका संबंध मुख्य कलाकार और कलाकार (ज्येष्ठ) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विस्तार निदेशालय, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग में मुख्य कलाकार और कलाकार (ज्येष्ठ) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, विस्तार निदेशालय, मुख्य कलाकार और कलाकार (ज्येष्ठ) (समूह ख) भर्ती नियम, 2015 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

**2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

**3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा तथा अन्य अर्हताएं, आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

**4. निरर्हता.**—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।